सेबी (सूचीबद्धता दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसरण में

महत्वपूर्ण सहायक कम्पनी का निर्धारण करने की नीति

आईएफसीआई लिमिटेड
आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली - 110 019
सीआईएनःL74899DL1993PLC053677
टेलीफोनः +91-(011)-41732000
फैक्सः +91-(011)-26230201
वेबसाइटः www.ifciltd.com
ई-मेलः complianceofficer@ifciltd.com

यह नीति सेबी (सूचीबद्धता दायित्व व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के अनुसरण में आईएफसीआई समूह में महत्वपूर्ण सहायक कम्पनियों के निर्धारण में संव्यहवार करती है जिसमें कहा गया है कि कम्पनी महत्वपूर्ण सहायक कम्पनियों के निर्धारण के लिए नीति तैयार करेगी और यह नीति कम्पनी की वेबसाइट और वेब-लिंक पर डाली जाएगी और कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में भी उपलब्ध कराई जाएगी ।

परिभाषाएं

"लेखा-परीक्षा समिति या समिति" का अभिप्राय समय-समय पर कम्पनी के निदेशक बोर्ड द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा सूचीकरण करार के प्रावधानों के अधीन "लेखा-परीक्षा समिति" का गठन करना है ।

"निदेशक बोर्ड" या "बोर्ड" का अभिप्राय आईएफसीआई लिमिटेड का निदेशक बोर्ड है, जिसका समय-समय पर गठन किया जाता है ।

"कम्पनी" का अभिप्राय आईएफसीआई लिमिटेड है

"स्वतन्त्र निदेशक" का अभिप्राय कम्पनी के निदेशक से है जिन्हें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के अनुसरण में नियुक्त किया गया है और जो सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुसरण में स्वतन्त्र निदेशक के रूप में योग्य हो ।

"पॉलिसी" का अभिप्राय महत्वपूर्ण सहायक कम्पनी है ।

"महत्वपूर्ण सहायक कम्पनी" का अभिप्राय ऐसी सहायक कम्पनी से होगा जिसकी आय या निवल मूल्य (अर्थात् प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त आरक्षित निधि) आईएफसीआई और इसकी सहायक कम्पनियों से तत्काल पिछले लेखांकन वर्ष में समेकित आय या निवल मूल्य क्रमशः 10 प्रतिशत अधिक हो ।

"महत्वपूर्ण संव्यवहार या व्यवस्था" का अभिप्राय तत्काल पिछले लेखांकन वर्ष में गैर-सूचीबद्ध सहायक कम्पनी के कुल राजस्व या कुल व्ययों या कुल परिसम्पत्तियों या कुल देयताओं, जैसा भी मामला हो, किसी एक संव्यवहार या व्यवस्था जिसे बढ़त हो या 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़त की कुल संभावना हो ।

"सहायक कम्पनी" जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, होगी ।

1. एक सहायक कम्पनी **महत्वपूर्ण सहायक कम्पनी** मानी जाएगी यदिः

   i. सहायक कम्पनी में पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार आईएफसीआई का निवेश इसके समेकित निवल मूल्य 10 प्रतिशत से अधिक हों ।

   या

   ii. यदि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सहयोगी कम्पनी ने आईएफसीआई की समेकित आय में 10 प्रतिशत अर्जित किया हो ।

2. एक स्वतंत्र निदेशक जो आईएफसीआई के बोर्ड में निदेशक होगा वही भारत में निगमित महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध सहायक कम्पनी के बोर्ड में भी निदेशक होगा ।

3. कम्पनी के बोर्ड में लेखा-परीक्षा समिति वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करेगी विशेष रूप से गैर-सूचीबद्ध सहायक कम्पनी में वार्षिक आधार पर किए गए निवेशों के सम्बन्ध में ।

4. गैर-सूचीबद्ध सहायक कम्पनी की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त कम्पनी के बोर्ड के समक्ष तिमाही आधार पर रखे जाएंगे ।

5. गैर-सूचीबद्ध सहायक कम्पनी द्वारा सभी महत्वपूर्ण संव्यवहारों के विवरण और करारों के सम्बन्ध में गैर-सूचीबद्ध सहायक कम्पनी का प्रबन्धन आईएफसीआई के निदेशक बोर्ड की सूचना में आवधिक रूप से लाएगा ।

6. पॉलिसी में दिए गए मानदण्डों के अनुसार आईएफसीआई की महत्वपूर्ण सहायक कम्पनियों की सूची की वार्षिक आधार पर कम्पनी की लेखा-परीक्षा समिति समीक्षा करेगी ।

7. आईएफसीआई, सदस्यों द्वारा विशेष संकल्प के पूर्व अनुमोदन के बिना, नहीं करेगीः

   क) महत्वपूर्ण सहायक कम्पनियों में शेयर बेचना, जिससे इसकी शेयधारिता (स्वयं या अन्य सहयोगी कम्पनियों के साथ) 50 प्रतिशत से कम हो जाए; या

   ख) सहायक कम्पनी पर नियंत्रण का प्रयोग समाप्त करना ।

   तथापि, उक्त पैरा 7 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे यदि ऐसा विनिवेश किसी प्रबन्ध योजना के अधीन न्यायालय/अधिकरण द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया गया हो या इंसाल्वेंसी एण्ड बैंकरप्सी कोड की धारा 31 के अधीन विधिवत् अनुमोदित संकल्प के अधीन किया गया हो ।

   ग) वित्तीय वर्ष के दौरान महत्वपूण सहायक कम्पनी की कुल मिलाकर परिसम्पत्तियों का 20 प्रतिशत से अधिक की बिक्री, निपटान या पट्टे पर देना जब तक बिक्री/निपटान/पट्टा न्यायालय/अधिकरण द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया गया हो या इंसाल्वेंसी एण्ड बैंकरप्सी कोड की धारा 31 के अधीन विधिवत् अनुमोदित संकल्प के अधीन किया गया हो ।

****